रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239230
CG-DL-E-30092022-239230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 230] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 07/2022

विषय: चीन जन.गण. से ''कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/7/2022-डीजीटीआर.—

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सहाजहानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक" या "एसएलटीएल" के रूप में भी कहा गया है) नामित प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है)इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में जाना जाता है (चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित **"**कटिंग**,** मार्किंग अथवा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों**"**) इसके बाद इन्हें ''संबद्ध वस्तुएं'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद '' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है ।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण से हो रही है । तद्नुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ''कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग कार्यों के लिए प्रयुक्त और तत्संबंधी स्टेंड अलोन घटकों के लिए समर्पित उपयोग के लिए पूर्ण रूप से असेम्बल, एसकेडी, सीकेडी या घटक रूप में औद्योगिक लेजर मशीनें'' हैं । विचाराधीन उत्पाद के दायरे में लेजर कटिंग मशीनें (एलसीएम), लेजर मार्किंग मशीनें (एलएमएम) और लेजर वेल्डिंग मशीनें (एलडब्ल्यूएम) शामिल हैं ।

4. इन मशीनों का प्रयोग मेटल/नॉन-मेटल सर्फेस पर कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग के लिए किया जाता है । विचाराधीनउत्पाद के विशिष्ट अंतिम उपयोग संबंधी अनुप्रयोग के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद में प्रयुक्त लेजर की पावर 3 वाट से लेकर 40 किलोवाट तक हो सकती है । कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग के अलावा, अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई गई सभी लेजर औद्योगिक मशीनें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर की गई हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ शीर्ष 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090, तथा 90132000 के अंतर्गत अध्याय 84, 85 और 90 के तहत वर्गीकृत किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इसकी वर्तमान जांच के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है ।

6. घरेलू उद्योग ने उचित तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है-

एस.एन.	विशेषता	मूल्यों
1.	श्रेणी / मशीन का प्रकार	1. लेजर कटिंग मशीन (एलसीएम)
		2. लेजर मार्किंग मशीन (एलएमएम)
		3. लेजर वेल्डिंग मशीन (एलडब्ल्यूएम)
2.	लेजर शक्ति	1. 500 वाट से 40 किलोवाट (एलसीएम)
		2. 3 वाट से 1 किलोवाट (एलएमएम)
		3. 3 वाट से 4 किलोवाट (एलडब्ल्यूएम)

7. सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त सुझाए गए पीसीएन पर दीक्षा अधिसूचना से 20 दिन के भीतर अपनी टिप्पणी दें।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं । यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और चीन जन.गण. से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी (विश्व भर में उत्पादन के लिए कोई अन्य ज्ञात प्रौद्योगिकी नहीं है), कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है । आवेदक ने यह दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिजियक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ताओं ने दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है और कर रहे हैं। प्राधिकारी द्वारा समान वस्तु के मामले की जांच की गई है । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, प्राधिकारी द्वारा, संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के ''समान वस्तु'' मानी जा रही हैं ।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन मैसर्स सहाजानन्द लेफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है । आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के कई अन्य उत्पादक हैं। प्राधिकरण को लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उनकी क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री की घोषणा की गई है। आवेदक ने बाजार आसूचना के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन मात्रा प्रस्तुत की है। यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है । हालांकि, भारत में कुल आयात और भारत में मांग के संबंध में आयात की मात्रा नगण्य है। यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादन भारत में समान वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, समर्थकों के साथ-साथ आवेदकों का भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 57% हिस्सा है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के साथ पठित नियम 5(3) के अनुसार खड़े होने का मानदंड।

घ. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)) i (का उल्लेख और भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार से संचालित है, तो चीन के उत्पादकों को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाए और सामान्य मूल्य की गणना अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार की जानी चाहिए । पैरा 7 के अंतर्गत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए कीमत अथवा भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर किया जाना अपेक्षित है ।

11. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का समर्थित सीमाशुल्क कोड नहीं है, जिससे कि इसका व्यापार किया जाता है और बाजार अर्थव्यवस्था से भारत सहित अन्य देशों को, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रथम दृष्टया प्रयोजन के लिए, संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का पता लगाना कठिन था । प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और और समायोजन, उचित लाभ के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ड. निर्यात कीमत

12. आवेदक के निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है । इसलिए, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर भरोसा किया है। निर्यात मूल्य को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के साथ समायोजित किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. पाटन मार्जिन

13. उपरोक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(क) के अनुसार किया गया है । यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है । ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, संबद्ध देश से पाटित की जा रही संबद्ध देश की संबद्ध वस्तुओं से काफी अधिक है, जो जांच शुरूआत को प्रथम दृष्टया स्पष्ट करता है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने क्षति होने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो कि कथित पाटन के कारण थी और जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत का ह्रास हो रहा है । अत: उनका निष्पादन

उत्पादन, कम बाजार अंश, लाभों में गिरावट, नकदी लाभ और निवशें पर प्रतिलाभ के संदर्भ में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं ।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग और उसकी ओर से विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा नियामावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योगकी क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. संबद्ध देश

16. वर्तमान पाटनरोधी जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन.गण. हैं ।

ञ. जांच की अवधि

17. आवेदक ने आवेदन में 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि (12 माह) का प्रस्ताव किया है, जो कि दिनांक – 02.02.2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 09/2021 के अनुसार है । क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2018-19,2019 -20,2020 - 21और जांच की अवधि शामिल होगी ।

ट. प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच में अनुसरण किया जाएगा ।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, प्राधिकारी के सभी पत्राचार, ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर और उसकी प्रति adg14-dgtr@gov.in, adv14-dgtr@gov.in. पर पर भेजी जानी चाहिए ।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें ।

ड समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से (30) दिनों के भीतर ईमेल पतों jd12-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in पर और उसकी प्रति adg14-dgtr@gov.in, adv14-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे ।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं । इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल को रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं ।

त. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

Department of Commerce

(Ministry of Commerce and Industry)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

(Case No - AD (OI) - 07/2022)

Subject: - Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding" from China PR.

F. No. 6/7/2022-DGTR.—

1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"), Sahajanand Laser Technology Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "SLTL") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The applicant has alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present application is "Industrial Laser Machines, in fully assembled, SKD or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations". The scope of the PUC includes Laser Cutting Machines (LCM), Laser Marking Machines (LMM), and Laser Welding Machines (LWM).

4. These machines are used for cutting, marking, or welding on metal/ non-metal surfaces. Depending on the specific end-use application of the PUC, the power of the laser used in the PUC can range from 3 watts to 40 kilowatts. All laser industrial machines used for purposes other than cutting, marking, or welding are excluded from the scope of the PUC.

5. The product under consideration is classified under Chapters 84, 85 and 90 under tariff headings 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090, and 90132000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

6. The domestic industry has proposed the following Product Control Number (PCN) for the product under consideration for fair comparison-

Sl.No.	Attribute	Values
1.	Category / Type of machine	4. Laser Cutting Machines (LCM)
		5. Laser Marking Machines (LMM)
		6. Laser Welding Machines (LWM)
2.	Laser power	1. 500 watts to 40 kilowatts (LCM)
		2. 3 watts to 1 kilowatt (LMM)
		3. 3 watts to 4 kilowatts (LWM)

7. All interested parties are requested to furnish their comments on the above suggested PCNs within 20 days from the initiation notification.

B. Like article

8. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. It has been further stated that there are no known significant differences in the subject goods produced by the domestic industry and that exported from China PR. The applicant has claimed that products produced by the domestic industry and imported from subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology (there is no other known technology for production world over), functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The issue of like article has been examined by the Authority. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being

imported from the subject country.

C. Domestic industry and standing

9. The application has been filed by M/s Sahajanand Laser Technology Limited. In addition to the applicant, there are various other producers of the subject goods in India. The Authority has received support letters from Lastronics Technology Private Limited, Proteck Machinery Pvt. Ltd. and Messers Cutting System India Private Limited wherein their capacity, production, and domestic sales have been declared. The applicant has submitted production volume of the other Indian producers as per market intelligence. It has been submitted that the applicant has imported the product under consideration from the subject country during the POI. However, the volume of import is insignificant in relation to total imports into India and the demand in India. It is seen that the production by the applicant constitutes a major proportion of the production of the like article in India. Further, the applicants together with supporters account for 57% of the total domestic production of the like article in India. The applicant has certified that they are not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) read with Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

D. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal value

10. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the Chinese producers should be treated as a non-market economy and the normal value should be calculated in terms of Para 7 of Annexure-I. Under Para 7, the normal value for non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of the subject goods in the market economy third county or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including price paid or payable in India.

11. It is noted that the product under consideration does not have dedicated customs HS code in which it is traded, and therefore it was difficult to ascertain the export price of the subject goods from the market economy to other countries including India for the purpose of prima facie determination of normal value for China PR. The Authority has, for the purpose of initiation, considered the constructed normal value for China PR based on cost of production of the domestic industry, and adjustment, with a reasonable profit.

ii. Export price

12. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for determination of export price. Hence, the Authority has relied on the information provided by the applicant for the purpose of initiation. The export price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

iii. Dumping margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, l975. It is noted that dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the subject goods from the subject country are being dumped into the Indian market, which prima facie to justify the initiation of investigation.

E. Evidence of Injury and Causal link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in price undercutting and price suppression of the prices of domestic industry. The performance of the domestic industry has been adversely impacted in respect of production, low market share, deterioration in profits, cash profits and return on investments. There is sufficient prima facie evidence to justify initiation of anti-dumping investigation.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated application by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section

9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject country

16. The subject country involved in the present anti-dumping investigation is China PR.

H. Period of investigation

17. The applicant has proposed the period from 1st April, 2021 to 31st March, 2022 (12 months) in the application, which is in accordance with the Customs Notification No. 09/2021 dated 02 -02-2020. The injury investigation period will cover the periods, 2018-19, 2019-2020, 2020-21 and the POI.

I. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, adv14-dgtr@gov.in.

20. The known producers/exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be to the Designated Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in , dd16-dgtr@gov.in and a copy to adg14-dgtr@gov.in adv14-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit mentioned above.

L. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

28. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information

as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Anant Swarup, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.30 16:31:10 +05'30'